फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

तहसीलदार बस्सी से रूबरू रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसे मय आवश्यक पत्रावली किया जाय। पत्रावली वास्ते उचित आदेश/कार्यवाही- दर्ज किये जावे पेश हो।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

7/1/21 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। महपोलादार बस्सी अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब पत्रावली में लेखन पेश हुआ पाया है आज पक्का (अंतिम) प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र धारा 91 राजस्व अभिलेखम 1956 की धारा 111, 128, व 136 यहां प्रस्तुत कर उल्लेख कर किया है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा न 350 रकबा 0.08 है० ग्राम राजपुरा पालवास महपोल बस्सी जिला जयपुर में खेती चली आ रही है जिसका खातेदारी इन्द्राज भी वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है प्रार्थीगण अपेक्षया भूमि वर्णित भूमि में पर दर्ज रकबे अनुसार काबिज हो एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं अंतिम प्रार्थीगण के पूर्वज मकानात पोल मोड, आदी बने हुये [illegible] निवास करते हैं प्रार्थीगण की [illegible] आबादी भूमि रही [illegible] सन 2002 से 2022 से प्रार्थीगण की [illegible] भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:57 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

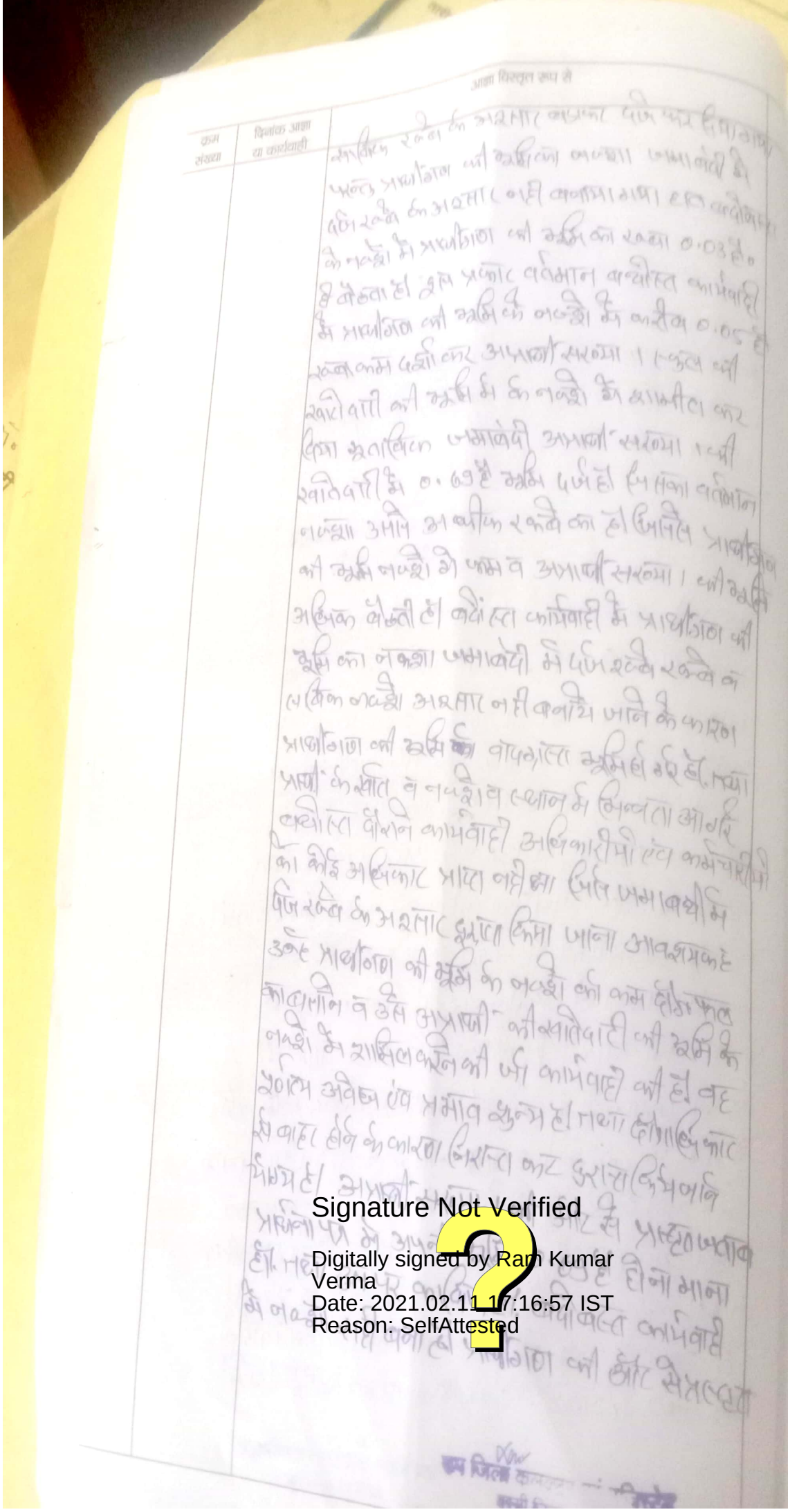

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा किस्तृत रूप से	विशेष विवरण

प्रार्थना पत्र अभाणी सरकार (की खातेदारी भूमि
कसि 0.08 है जहाँ कि वादी की अवहेलना की जाकर
अभाणी की भूमि को हड़पने की गरज से सि कि के
प्रावधानों के विपरीत दिखा दिया है जो कानूनन उचित
नियम नहीं है

प्रकरण में अभाणी सरकार तहसीलदार बस्सी के
द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में स्थानीय रिपोर्ट प्रस्तुत
की गई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम रामपुरा
पालावास स्थित खसरा नं० 347 रकबा 0.69 है रकबा
जरीब करने पर खसरा नं० 347 का रकबा 0.73 है०
बताते बताया है अर्थात ख०नं 347 में 0.04 है०
दोआबला जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दोआबला
0.69 है से पैमाई है वहीं प्रजार खसरा नं 350 रकबा
0.08 है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है खसरा 350 का रकबा
जरीब करने पर राजस्व जमीन का दोआबला 0.04 बताया
है अर्थात खसरा नं 0350 में 0.04 है दोआबला राजस्व
रिकॉर्ड के दर्ज दोआबला 0.08 है मैदानी से कम है।

इसमें पावली एवं अन्य प्रस्तुत पत्रावलि का अवलोकन
किया तहसीलदार बस्सी से प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट
है कि वर्तमान विवादित कार्यवाही में प्रार्थीगण की खातेदारी
कि भूमि खसरा नं० 350 रकबा 0.08 है के अनुसार जमीन
नहीं बताया गया [illegible]
में दर्ज रकबे से अधिक [illegible]
जिसे जमाबन्दी में [illegible]
बताया जाना [illegible]

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner